

फॉर्म-11

चल सम्पत्ति के संबंध में लेन-देन हेतु सी सी एस (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18 (3) के तहत पूर्व सूचना देने या पूर्व संस्वीकृति की मांग हेतु फॉर्म

(फॉर्म भरने से पहले अनुदेशों को पढ़ें)

1. सरकारी कर्मचारी का नाम:
(ए) पदनाम:
(बी) जिस सेवा से संबंधित हो:
(सी) कर्मचारी सं./कोड सं.:
2. वेतनमान एवं वर्तमान वेतन:
3. आवेदन का उद्देश्य @:
4. अचल सम्पत्ति का विवरण

अधिग्रहण या निपटान	अधिग्रहण या निपटान की तारीख	संपत्ति का विवरण	अधिग्रहण या निपटान का माध्यम	क्या संपत्ति में आवेदन का अधिकार पूरा या हिस्से में है।	संपत्ति का स्वामित्व	संपत्ति की बिक्री/खरीद मूल्य
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)

5. अधिग्रहण के मामले में, स्रोत या स्रोतों जिससे किया गया है/ किया जाना प्रस्तावित है:
6. संपत्ति के निपटान के मामले में इसके अधिग्रहण हेतु अपेक्षित संस्वीकृति/सूचना प्राप्त/दी गई थी (संस्वीकृति/पावती की प्रति संलग्न होनी चाहिए) :
7. पार्टियों का विवरण जिसके साथ लेन-देन किया जाना प्रस्तावित है/किया गया है:

पार्टियों का नाम एवं पता	क्या पार्टी आवेदन से संबंधित है? यदि हो तो संबंध बताएं।	क्या आवेदक ने पार्टियों के साथ कोई अधिकारिक लेन-देन किया था?	पार्टी के साथ अधिकारिक लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन कैसे किया गया था?
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)

8. उपहार द्वारा अधिग्रहण के मामले में, क्या संस्वीकृति सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 13 के तहत भी अपेक्षित है ?
9. अन्य कोई प्रसंगिक तथ्य जिसे आवेदक वर्णन करना चाहे

घोषणा

मैं..... घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दिए गए विवरण सही हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे सम्पत्ति के अधिग्रहण/निपटान करने की अनुमति दी जाए जैसाकि उपरोक्त वर्णित फॉर्म/पार्टी से जिसका नाम उपरोक्त मद 7 में वर्णित है ।

या

मैं..... सूचित करता/करती हूँ कि मैंने प्रस्तावित संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान का उपरोक्त विवरण दिया है। मैं घोषित करता/करती हूँ कि दिए गए विवरण सही हैं ।

स्थान:

दिनांक

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

उपरोक्त फॉर्म भरते समय निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें:

प्रतीक	क्रम सं./क्षेत्र सं.	अनुदेश
®	3	आवेदन का उद्देश्य: लेन देन हेतु संस्वीकृति या लेन-देन हेतु पूर्व सूचना।
§	4 (सी)	(ए) सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के अनुसार चल संपत्ति। (बी) वाहन के मामले में, मेक, मॉडल एवं पंजीकरण सं. भी
©	4 (डी)	अधिग्रहण/निपटान-खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/पट्टा या अन्य का माध्यम
&	4 (ई)	यदि संपत्ति में आवेदक का अधिकार पूरा या हिस्से में है तो आंशिक अधिकार के मामले में, ऐसे अधिकार-क्षेत्र को सूचित करें।
*	4 (एफ)	संपत्ति का स्वामित्व यदि लेन-देन केवल सरकारी कर्मचारी के नाम पर नहीं है तो स्वामित्व का विवरण एवं प्रत्येक सदस्य का हिस्सा बताया जाए।
ψ	4 (जी)	संपत्ति का बिक्री/खरीद मूल्य (उपहार के मामले में बाजार मूल्य)
Ω	5	अधिग्रहण के मामले में, स्रोत या स्रोतों जिससे वित्त पोषित किया जाना प्रस्तावित है: (ए) व्यक्तिगत बचत या (बी) विवरण देते हुए अन्य स्रोत।
€	7 (सी)	क्या आवेदक ने किसी समय अपनी अधिकारिक क्षमता में पार्टि के साथ कोई भी लेन-देन किया था या क्या आवेदक को निकट भविष्य में उसके साथ कोई भी लेन-देन करने की सम्भावना है हां या नहीं में लेखें। यदि हां तो पूर्ण विवरण दें।
®	7 (ई)	क्या सांविधिक निकाय या प्राइवेट एजेंसी या विज्ञापन या मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से। पूर्ण विवरण दिया जाए।
α	8	हां या नहीं में उत्तर लिखें।

- उपरोक्त फॉर्म में, आवश्यकतानुसार विभिन्न भागों का प्रयोग करें।
- जहां पिछली संस्वीकृति मांगी है वहां आवेदन को लेन-देन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व में प्रस्तुत किया जाए।

FORM-11

Form for giving intimation or seeking previous sanction under Rule 18 (3) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 for transaction in respect of movable property.

(Please read the instructions before filing up the form)

1. Name of the Government Servant _____
 (a) Designation: _____ -
 (b) Service to which belongs: _____
 (c) Employee No./Code No: _____

2. Scale of Pay and present pay: _____
3. Purpose of application: @ _____
4. Description of Movable Property

Acquisition or disposal	Date of acquisition or disposal	Details of Property §	Mode of acquisition or disposal ©	Whether the applicant's interest in the property is in full or part. &	Ownership of the property *	Sale/ purchase price of the Property ψ
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

5. In case of acquisition or disposal, source or sources from which financed/ proposed to be financed. Ω _____
6. In the case of disposal of property, was requisite sanction/intimation obtained/given for its acquisition (a copy of the sanction/acknowledgement should be attached). _____
7. Details of the Parties with whom transaction is proposed to be made/ has been made:

Name and address of the parties.	Is the party related to the applicant? If so, state the relationship.	Did the applicant have any official dealing with the parties? €	Nature of official dealing with the party	How was the transaction arranged? ®
(a)	(b)	(c)	(D)	(e)

8. In case of acquisition by gift, whether sanction is also required under Rule 13 of the CCS (Conduct) Rules, 1964? α _____
9. Any other relevant fact which the applicant may like to mention _____

DECLARATION

I.....hereby declare that the particulars given above are true.
I request that I may be given permission to acquire/dispose of property as described above
form/to the party whose name is mentioned in item 7 above.

OR

I.....hereby intimate the proposed
acquisition/disposal of property by me as detailed above. I declare that the particulars given
above are true.

Station:

Signature:

Date:

Name:

Designation

Instructions to follow while filling up the above form:

1.

Symbols	SL.NO./Field no.	Instructions
@	3.	Purpose of application: Sanction for transaction or prior intimation of transaction.
\$	4(c)	(a) Movable property as per the Rule 18 of the CCS (Conduct) Rules. 1964 (b) Make, model and also registration No. In case of vehicle
©	4(d)	Mode of acquisition/ disposal- purchase/sale/gift/mortgage/lease or otherwise.
&	4(e)	Whether applicant's interest in the property is in full or part, In case of partial interest, the extent of such interest must be indicated.
*	4(f)	Ownership of the property, in case the transaction is not exclusively in the name of the Government servant, particulars of ownership and share of each member may be given.
ψ	4(g)	Sale/purchase price of the property(Market value in the case of gifts)
Ω	5.	Source or sources from which financed/ proposed to financed:-(a) Personal Savings or (b) other sources giving details.
€	7(c)	Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time, or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future? Write the answer in YES or NO. If yes. Full details should be given
®	7(e)	Whether through any statutory body or a private agency through advertisement or through friends and relatives. Full particulars to be given
α	8	Write the answer in YES or NO.

2. In the above form, different portions may be used according to requirement.

3. Where previous sanction is asked for the application should be submitted at least 30 days before the proposed date of the transaction.